CAAE – 2 (H)

सहायक लेखा अधिकारी सामूहिक परीक्षा, 2010

फरवरी, 2011

सेवा नियम (पुस्तकों सहित)

समय : 3 घंटे *अधिकतम अंक : 150*

अनुमत पुस्तकें :

1. मूल नियमावली खंड I और II
2. पूरक नियमावली
3. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972
4. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली 1972
5. सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियमावली, 1960
6. छुट्टी यात्रा रियायत नियमावली
7. पुनर्नियोजित पेंशन भोगियों से संबंधित वेतन निर्धारण आदेश

उपलब्ध कराए जाने वाले फार्म :

1. स्थानांतरण यात्रा भत्ता बिल फार्म
2. छुट्टी लेखा फार्म

टिप्पणियां :

(i) प्रश्न संख्या **1** तथा **4** अनिवार्य है तथा शेष में से किन्हीं **तीन** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अंक प्रत्येक प्रश्न के सामने दिए गए हैं।

(ii) अपने उत्तर के समर्थन में संगत नियमों/आदेशों का उल्लेख कीजिए।

(iii) इस प्रश्न पत्र में **6** पृष्ठ और **7** प्रश्न हैं।

---

1. निम्नलिखित सूचना के आधार पर, स्टेशन 'एक्स' से स्टेशन 'वाई' को स्थानांतरित किए गए एक अधिकारी का स्थानांतरण यात्रा भत्ता तैयार कीजिए:-

(क) स्थानांतरण के समय वेतन ₹31,680 + ग्रेड वेतन ₹7,600 था।

(ख) उसके परिवार में पत्नी, 24 वर्ष और 20 वर्ष के दो पुत्र और एक विवाहित पुत्री (अपने पति से कानूनी रूप से अलग) शामिल हैं। उसका एक घरेलू नौकर भी है जो सरकारी कर्मचारी पर निर्भर है।

(ग) स्टेशन 'एक्स' और स्टेशन 'वाई' के बीच की दूरी 1436 कि.मी. और स्टेशन 'एक्स' पर आवास और रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 14 कि.मी. और स्टेशन 'वाई' पर यह दूरी 8 कि.मी. है।

(घ) अधिकारी और उसके परिवार ने हकदारी श्रेणी से यात्रा की और घरेलू नौकर ने शयन श्रेणी से यात्रा की जिसका रेल किराया ₹450 है। स्टेशन 'एक्स' और स्टेशन 'वाई' के बीच का वातानुकूलित प्रथम श्रेणी का किराया ₹2,435 है।

(ङ) अधिकारी की कार को स्टेशन 'एक्स' से स्टेशन 'वाई' तक चलाकर ले जाया गया। यात्री गाड़ी से कार को ले जाए जाने का रेल भाड़ा ₹17,500 है। सड़क मील भाड़ा ₹16/कि.मी. है।

(च) अधिकारी ने अपना व्यक्तिगत सामान (4600 कि.ग्रा.) ट्रक से भेजा और सामान की चढ़ाई और उतराई के क्रमशः ₹14,500 और ₹750 अदा किए।

(छ) अधिकारी ने ₹60,000 अग्रिम राशि ली है जो उसके यात्रा भत्ते दावे से समायोजित की जानी है। *(30 अंक)*

2. (क) दिए गए ब्योरे से वरिष्ठ लेखा अधिकारी श्री 'एक्स' का दिए गए फार्म में छुट्टी खाता तैयार कीजिए और सेवानिवृत्ति पर उसके खाते में जमा अर्जित छुट्टी और अर्ध वेतन छुट्टी प्रमाणित कीजिए :

(i) जन्म की तारीख - 26.7.1949

(ii) सरकारी सेवा में आने की तारीख - 10.5.1973

(iii) 10.4.2001 को खाते में जमा छुट्टी

अर्जित छुट्टी - 165 दिन

अर्ध वेतन छुट्टी - 120 दिन

(iv) 10.5.2001 से 27.5.2001 तक परिवर्तित छुट्टी पर रहा।

(v) अन्य स्टेशन को स्थानांतरित किए जाने पर 15.6.2001 (पूर्वाह्न) को कार्यमुक्त किया गया और दूसरे स्टेशन पर 20.6.2001 (पूर्वाह्न) को कार्यभार ग्रहण किया। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 2300 कि.मी. है और अधिकारी ने विमान से यात्रा की।

(vi) अधिकारी 26.6.2001 से 4.7.2001 तक और 1.8.2001 से 90 दिन की अर्जित छुट्टी पर रहा।

(vii) अधिकारी 4.12.2001 से 60 दिन की अर्जित छुट्टी पर रहा।

(viii) 7.8.2002 से 5.10.2002 तक की अप्राधिकृत अनुपस्थिति को अधिकारी की विगत सेवा से वंचित किए बिना अकार्य दिवस माना गया।

(ix) 1.1.2003 से 150 दिन की छुट्टी को स्वीकार्य अर्जित छुट्टी, स्वीकार्य परिवर्तित छुट्टी और शेष देय नहीं छुट्टी के रूप में नियमित कर दिया गया।

(x) 1.8.2006 से 14.8.2006 तक अर्जित छुट्टी

(xi) 5.8.2007 से 6.9.2007 तक चिकित्सा आधार पर परिवर्तित छुट्टी।

(ख) सेवानिवृत्ति के समय छुट्टी नकदीकरण की राशि ज्ञात कीजिए। सेवानिवृत्ति पर अधिकारी की परिलब्धियां इस प्रकार हैं :-

मूल वेतन	-	₹25,780
ग्रेड वेतन	-	₹5,400
महंगाई भत्ता	-	27% की दर पर

परिवहन भत्ताः ₹3,200 + महंगाई भत्ता

(10+10+10 = 30 अंक)

3. निम्नलिखित ब्योरे से अधिवर्षिता पेंशन, सेवानिवृत्ति उपदान, पेंशन का संराशीकृत मूल्य और परिवार पेंशन ज्ञात कीजिएः-

1.	जन्म की तारीख	15.8.1950
2.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में सेवा आरम्भ करने की तारीख	27.4.1972
3.	स्थायीकरण की तारीख	1.1.1977
4.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नत होने की तारीख	2.5.1978

5. अधिकारी को 29.8.2007 से भारतीय सिविल लेखा सेवा में शामिल कर लिया गया और उसका वेतन ₹24,600 और ग्रेड वेतन ₹5,400 निर्धारित किया गया। उसकी वेतन वृद्धि की अगली तारीख 1.7.2008 निर्धारित की गई।

6. अधिकारी को 16.4.2010 को पीबी-3 ₹15,600-39100 + ₹6,600 (ग्रेड वेतन) में पदोन्नत कर दिया गया। अधिकारी ने पदोन्नति पर वेतन-वृद्धि की अगली तारीख से वेतन निर्धारित किए जाने का विकल्प दिया।

7. अधिकारी ने निम्नलिखित अवधि की छुट्टियां लीं :-

(क) 1.4.1992 से 15.4.1992 तक चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर 15 दिन की असाधारण छुट्टी

(ख) 1.5.1996 से 30.6.1996 तक वैयक्तिक कारण से असाधारण छुट्टी
(ग) 1.7.2000 से 20.7.2000 तक परिवर्तित छुट्टी
(घ) 21.9.2000 से 30.9.2000 तक 10 दिन की अर्जित छुट्टी

8. अधिकारी चुखा हायडल प्रोजेक्ट (सीएचपी) में 1.1.1985 से 31.12.1989 तक अन्यत्र सेवा पर रहा। न तो अधिकारी द्वारा और न ही सी.एच.पी. द्वारा कोई पेंशन अंशदान प्रेषित किया जाना था तथा इस अवधि को अर्हक सेवा गिना जाना था।
9. मंहगाई भत्ता वेतन का 45% है।

(30 अंक)

4. निम्नलिखित ब्योरे से लेजर लेखा तैयार कीजिए और वर्ष 2009-10 के लिए सामान्य भविष्य निधि लेखे का ब्याज ज्ञात कीजिए:-

(i) सरकारी कर्मचारी का मूल वेतन ₹17,850 + ₹4,800 (ग्रेड वेतन) है।
(ii) 31.3.2008 को शेष राषि ₹8,53,748 है।
(iii) वेतन माह के अनुसार अभिदानः

मार्च 2009 से जून 2009	₹12,500 प्र.मा.
जुलाई 2009 से दिसम्बर, 2009	₹15,000 प्र.मा.
जनवरी 2010 से फरवरी 2010	₹16,000 प्र.मा.

(iv) सितम्बर, 2007 और अक्तूबर 2007 माह के प्रत्येक माह के ₹8,000 के लापता जमा का पता सितम्बर, 2009 माह में लगा।
(v) जुलाई 2009 में ₹80,000 का आहरण किया।
(vi) मई 2008 में ₹40,000 का अग्रिम लिया जो 20 समान किस्तों में देय था।
(vii) 5 अगस्त, 2009 को ₹50,000 अग्रिम लिया जो 20 समान किस्तों में देय था।
(viii) जनवरी 2010 में अग्रिम की शेष किस्तें आहरण में परिवर्तित कर दी गई।
(ix) पूरे वर्ष के लिए ब्याज 8% प्रति वर्ष है।

(30 अंक)

5. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए :-

(क) अध्ययन छुट्टी पर रहते हुए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत
(ख) संतान परिचर्या छुट्टी
(ग) आवास को किराए पर देना और साझा करना
(घ) मृत्यु उपदान
(ङ) मानदेय

(5x6=30 अंक)

6. सही अथवा गलत बताइएः

(क) किसी भी सरकारी कर्मचारी की सेवा को सामान्यतः 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के बाद आगे नहीं बढ़ाया जाएगा परंतु यदि वह किसी ऐसी समिति का सदस्य हो जिसका शीघ्र ही समापन किया जाना हो उसकी सेवा को लोक हित में अधिक से अधिक तीन माह के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

(ख) सभी स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने कर्मचारियों को विदेश में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने संबंधी अपने प्रस्तावों के संबंध में विदेशी मुद्रा जारी किए जाने/यात्रा अनुमोदन प्रदान किए जाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को सीधे ही आवेदन नहीं भेज सकते।

(ग) सरकारी कर्मचारी के मुख्यालय से बाहर स्थित स्थान पर 120 दिन तक लगातार रहने पर पूर्ण दैनिक भत्ता स्वीकार्य है।

(घ) निलंबन के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी को उतनी छुट्टी दी जा सकती है जितनी देय हो।

(ङ) ₹6,600 के ग्रेड वेतन में कार्यरत सरकारी कर्मचारी विमान से किफायती श्रेणी में और रेल से वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने का हकदार है।

(च) दिवंगत सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवा के अंतिम तीन माह के दौरान भी अभिदाता माना जाएगा जबकी निक्षेप सम्बद्ध बीमा योजना के प्रयोजन के लिए अभिदान बंद कर दिया गया हो।

(छ) उस अंतिम वेतन का संरक्षण नहीं दिया जाएगा जो उसी पद पर पदावनत और पुनः पदोन्नत होने पर वास्तव में आहरित नहीं किया गया है।

(ज) यदि दिवंगत सरकारी कर्मचारी ने 20 वर्ष से अधिक की सेवा की है और केवल अंतिम पांच वर्ष की सेवा सत्यापित और स्वीकार की गई है तो दिवंगत सरकारी कर्मचारी के परिवार को परिलब्धियों के 12 गुना के बराबर अनंतिम मृत्यु उपदान देय होगा।

(झ) समूह 'ख' के सरकारी कर्मचारी के द्वारा 18 वर्ष 4 माह की सेवा करने पर पेंशन के मासिक अंशदान की दर 17% होगी।

(ञ) एक सरकारी कर्मचारी द्वारा राज्य सरकार के अधीन की गई सेवा को सामान्य भविष्य निधि में अभिदान दिए जाने की पात्रता के लिए सतत सेवा के रूप में नहीं माना जाएगा।

(10x3=30 अंक)

7. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :-

(i) वापसी यात्रा के संबंध में छुट्टी यात्रा रियायत की प्रतिपूर्ति की हकदारी

(ii) भारत के बाहर गृह नगर को छुट्टी यात्रा रियायत

(iii) पेंशन अदायगी आदेश का नवीकरण

(3x10=30 अंक)

CAAE – 2 (E)

COMMON ASSISTANT ACCOUNTS OFFICER EXAMINATION, 2010

FEBRUARY, 2011

SERVICE RULES (With Books)

Time Allowed : 3 Hours *Maximum Marks : 150*

Books allowed:

1. Fundamental Rules Vol.I & II.
2. Supplementary Rules.
3. Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.
4. Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.
5. General Provident Fund (Central Service) Rules, 1960
6. Leave Travel Concession Rules.
7. Orders Regarding Fixation of Pay of Re-employed Pensioners.

Forms to be supplied:

1. Transfer TA Bill Form. 2. Leave Account Form

Notes :

1. Answer question nos. **1** and **4** which are compulsory and any **three** of the rest. Marks are indicated against each question.
2. Quote relevant rules in support of your answer.
3. This question paper contains **5** pages and **7** questions.

1. Prepare the transfer travelling allowance of an officer transferred from Station 'X' to station 'Y' on the basis of following information.

(a) Pay at the time of transfer ₹31,680 + Grade Pay ₹7,600.

(b) His family consists of wife, two sons aged, 24 years and 20 years, and a married daughter (legally separated from her husband). He also has a domestic servant dependent on Govt. servant.

(c) The distance between station 'X' and 'Y' is 1436 km. and distance between residence and railway station at station 'X' is 14 km. and at 'Y' station is 8 km.

(d) The officer and his family travelled by the entitled class and domestic servant travelled by sleeper class for which rail fare is ₹450/-. A.C. first class fare between station 'X' and station 'Y' is ₹2,435/-.

(e) Officer's car was transported from station 'X' to station 'Y' under its own propulsion. Railway freight for transportation of car by passenger train is ₹17,500/-. Road mileage is ₹16/- per km.

(f) He transported his personal effects (4600 kg) by truck and paid ₹14,500/- and ₹750/- for loading and unloading of goods.

(g) The officer has taken an advance of ₹60,000/- to be adjusted from his T.A. claim.

(*30 marks*)

2. (a) From the given particulars prepare the leave account of a Sr. Accounts Officer, Sh. 'X', in the given form and certify E.L. & H.P.L. at his credit on retirement.

(i) Date of birth 26.07.1949

(ii) Date of entry in Govt. service 10.05.1973

(iii) Leave at credit on 10.04.2001
EL - 165 days
HPL - 120 days

(iv) Commuted leave from 10.05.2001 to 27.05.2001.

(v) On transfer to other station relieved on 15.06.2001 (F.N.) and assumed charge on the other station on 20.06.2001 (F.N.). Distance between the two stations is 2300 km. and officer travelled by air.

(vi) EL from 26.06.2001 to 04.07.2001 and for 90 days from 01.08.2001.

(vii) EL for 60 days from 04.12.2001.

(viii) Unauthorised absence from 07.08.2002 to 05.10.2002 treated as dies-non without entailing forfeiture of past service.

(ix) Leave for 150 days regularised as EL admissible, commuted leave admissible and balance leave not due w.e.f.. 01.01.2003.

(x) EL from 01.08.2006 to 14.08.2006.

(xi) Commutted leave on medical ground from 05.08.2007 to 06.09.2007.

(b) Calculate amount of leave encashment at the time of retirement. His emoluments on retirement are

Basic pay - ₹25,780/-

Grade Pay - ₹5,400/-

D.A. - @ 27%

Transport Allowance ₹3,200+D.A. *(Marks 10+10+10)*

3. Calculate the superannuation pension, retirement gratuity, commuted value of pension and family pension from the following particulars :

1. Date of birth 15.08.1950
2. Joined service as UDC in IAAD on 27.04.1972
3. Date of confirmation 01.01.1977
4. Promoted as Jr. Accounts Officer w.e.f. 02.05.1978
5. He was inducted to I.C.A.S. w.e.f 29.08.2007 and his pay was fixed at ₹24,600/- plus Grade Pay '₹5,400/- with date of next increment on 01.07.2008
6. Promoted to PB-3 ₹15,600-39,100 + 6,600 (grade pay) on 16.04.2010. He opted fixation from the date of next increment on promotion.
7. Availed the following spells of leave.
   (a) Extraordinary leave for 15 days from 01.04.1992 to 15.04.1992 on medical certificate.
   (b) Extraordinary leave from 01.05.1996 to 30.06.1996 due to personal reason.
   (c) Commutted leave from 01.07.2000 to 20.07.2000.
   (d) EL for 10 days from 21.09.2000 to 30.09.2000.
8. He remained on foreign service from 01.01.1985 to 31.12.1989 with Chukha Hydel Project (CHP). No pension contribution was required to be remitted by the officer or by the C.H.P. and the period was to be counted as qualifying service.
9. Dearness Allowance is 45% of pay. *(Marks 30)*

4. Prepare the ledger account and calculate the interest for the year 2009-10 of GPF account with following particulars

   (i) Basic pay of the Govt. servant is ₹17,850 + 4,800 (Grade Pay)

   (ii) Balance as on 31.03.2008 is ₹8,53,748/-

   (iii) Subscription as per salary month

March 2009 to June 2009	₹12,500/- p.m.
July 2009 to December 2009	₹15,000/- p.m.
January, 2010 to February 2010	₹16,000/- p.m.

   (iv) Missing credit for the month of September 2007 and October 2007 for ₹8,000/- each were noticed in the month of September 2009

   (v) Withdrawal of ₹80,000/- in July 2009.

   (vi) Advance of ₹40,000/- in May 2008 payable in 20 equitable installments.

   (vii) Advance of ₹50,000/- on 5th August 2009, recoverable in 20 equal instalments.

   (viii) In January 2010 the remaining installments of advance were converted to withdrawal.

   (ix) Interest for all the years is 8% per annum. *(Marks 30)*

5. **Write short notes on the following :-**

   (a) LTC to the Central Govt. employees while on study leave.

   (b) Child care leave.

   (c) Subletting & sharing of residence.

   (d) Death Gratuity.

   (e) Honorarium. *(Marks 5 x 6=30)*

6. **State True or False**

   (a) No Govt. servant shall ordinarily be granted extension in service beyond the age of retirement of 60 years, provided that if the Govt. servant is working as a full time member of a committee which is to be wound up within a short period of time, he may be granted extension of service for a period not exceeding 3 months in public interest.

(b) All autonomous bodies/Public Sector Undertakings can not apply direct to Reserve Bank of India for release of foreign exchange/ passage clearance in respect of their proposals for deputation abroad of their employees.

(c) Full daily allowance is admissible for a place out side Govt. servant's head quarters for a continuous halt up to 120 days.

(d) During suspension leave can be granted to a Govt. servant to the extent it is due.

(e) A Govt. servant who is working in Grade pay of ₹6,600/- is entitled to travel by air in economy class or in AC IInd class in Rail.

(f) Deceased Govt. servant to be treated as subscriber even during the last three month of his service when subscription has been discontinued for the purpose of Deposit linked Insurance Scheme.

(g) Protection of last pay will not be given which is not actually drawn on reversion and repromotion to the same post.

(h) If the deceased Govt. servant had rendered more than 20 years of service and only the last five years of service is verified and accepted, the family of deceased Govt. servant shall be allowed provisional death gratuity equal to 12 times of the emoluments.

(i) Rate of monthly contribution of pension for a group 'B' Govt. servant who has rendered a service of 18 years 4 months is 17%.

(j) Service rendered by a Govt. servant under the state govt. should not be treated as continuous service for eligibility to subscribe to General Provident Fund.

(Marks 10x3=30)

7. Write brief note on the following :

(i) Entitlement to re-imbursement of LTC in respect of return journey.

(ii) LTC to home town out side India.

(iii) Renewal of pension payment order. *(Marks 3x10=30)*